

कार्यालय,

उत्तर, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या:- प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संख्या:- दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय तह:

उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कीर्ण शिक्षा परिषद, नई दिल्ली परमर्णो कउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सडिंक सड 2022-23 हेतु किल्लेक तल्लेक तल्लेक शिक्षा संघर्षों को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरंत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 11/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयुक्त हुई। बैठक में समिति द्वारा सड 2022-23 हेतु अनुमोदित नई संघर्षों को सम्बद्धता पूर्व से संपर्कित संघर्षों को सम्बद्धता विस्तार/सम्बद्धता प्रवेश समता वृद्धि सडित अन्य सडों पर विचार करते हुए सड 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किल्लेक नवे निर्णय के अनुकूल में सिल्ल संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड 2022-23 हेतु निम्नलिखित सडों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें प्रविष्ट प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2065-SHIKHAR INSTITUTE OF PHARMACY

संघर्ष	पाठ्यक्रम का नाम	एचआईएसटीआईएन पीसीआईएन द्वारा सड 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता	परिषद द्वारा सड 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एचआईएसटीआईएन पीसीआईएन द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्वतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसडों 1992, विनियमसडों-2010, सडेंसडर विनियमसडों-2016 तथा समय-समय पर निर्गत सडसडों के अनुपालन करेगी तथा कुल्ल विवरण समिति द्वारा निर्धारित कुल्ल सड वर्षीय कुल्ल पाठ्यक्रमों हेतु सड 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो तर्षीय परमर्णो पाठ्यक्रम हेतु सड 15000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तर्षीय पाठ्यक्रमों (दो तर्षीय परमर्णो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु सड 22500.00/- प्रतिवर्ष कुल्ल ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से कुल्ल के सम्बन्ध में समय-समय पर छात्र/छात्रा द्वारा निर्गत किल्लेक जाने वाले सडसडों प्रसगी होंगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। किल्ल निर्धारण समिति द्वारा सडित सड 2022-23 हेतु किल्ल का पुनर्निर्धारण किया जाकर है, तो किल्ल की मांग/तल्ल ही सडू होंगी।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयुक्त छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सडसडों के अनुसार विरीक्षण एवं सम्बद्धता कुल्ल उभय करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत विनियमसडों/अधिनियमसडों/सडसडों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार एवं किल्लेक सडेंसडर विनियमों, सडेंसडर विनियमों, सडेंसडर विनियमों

का पालन करने के लिये कार्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा वापर बन्द के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रपत्र की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था की कर्तवी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग कार्यक्रम होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अप्पर पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम अध्यापन नियमों का अनुपालन करना कार्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला बुल्ड, छात्रावास बुल्ड आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कक्षाकरण उपलब्ध बनाने के साथ भ्रंश रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु नियोजन समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अफिलेख, भूमि-भवन, कर्मीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जावेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।



(एफ०आई०पी० बजल)

सचिव

पू०सं०- प्रावि०/परिषद सम्बद्धता/2022/7816-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक SHIKHAR INSTITUTE OF PHARMACY



(एफ०आई०पी० बजल)

सचिव

सूचना

एच.एस.सी.के. सिंग सोनिया

दूरस्थ शिक्षण संस्थान

संस्था - गणितवादी नं. 1457423291/2017

संस्था संख्या - 09/01/2021

समाचार पत्र

एच.एस.सी.के. सिंग सोनिया, नई दिल्ली (प्राचीन अखिल भारतीय चिकित्सा विश्वविद्यालय का अंग) द्वारा चिकित्सा विभागाधीन (अंग) अखिल भारतीय चिकित्सा विश्वविद्यालय (अ.च.वि.) में अनुसंधान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। विभाग- (अ.च.वि.) को चिकित्सा शिक्षा में अनुसंधान प्रमोशन को ध्यान में रखा गया है। इसके अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन 2021-22 में अखिल भारतीय चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। अनुसंधान कार्य को प्रमोशन कार्यक्रम का आयोजन 2021-22 में अखिल भारतीय चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है।

अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत में चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार सिंह सोनिया, 30/11/2020 द्वारा एक 2021-22 में आयोजित करने के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

संस्था का पता: रतन नगर - 2005-0178948 INSTITUTE OF PHARMACY SHEEHUPUR KADAR CHOWK NEAR KONDWA VINAYALA, UJAIN, GUJARAT-385001

क्रम	संस्था का नाम	आयोजित कार्यक्रमों का नाम 2021-22 में आयोजित करेंगे	चिकित्सा विभाग 2021-22 में आयोजित करेंगे
1	DIPLOMA IN PHARMACY	30	60

आयोजित करेंगे

- ✓ **अ.च.वि. अनुसंधान कार्यक्रमों का आयोजन चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार सोनिया**
- ✓ **संस्था द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 1982 का चिकित्सा शिक्षा विभाग (चिकित्सा विभाग) 2018 का अ.च.वि. विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार सोनिया, 30/11/2020 द्वारा आयोजित किया गया है।**
- ✓ **संस्था को (अ.च.वि.) चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एक अ.च.वि. विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार सोनिया**
- ✓ **संस्था में अनुसंधान कार्य चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित करने के लिए चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार सोनिया**
- ✓ **संस्था को अनुसंधान कार्य चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित करने के लिए चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार सोनिया**
- ✓ **संस्था को अनुसंधान कार्य चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित करने के लिए चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार सोनिया**
- ✓ **संस्था को अनुसंधान कार्य चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित करने के लिए चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार सोनिया**
- ✓ **संस्था को अनुसंधान कार्य चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित करने के लिए चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार सोनिया**
- ✓ **संस्था को अनुसंधान कार्य चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित करने के लिए चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार सोनिया**
- ✓ **संस्था को अनुसंधान कार्य चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित करने के लिए चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार सोनिया**
- ✓ **संस्था को अनुसंधान कार्य चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित करने के लिए चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार सोनिया**

